राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (बी–462) अलेसे– I/956 दिनांकः–10/06/2020

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 496/2019–20 दिनांक 25.09.2019 द्वारा श्री बनेसिंह कविया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। (लिंक नं0 4982) का पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा से कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा विभाग, सीकर में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। के पद को रिक्त मानते हुए किया गया था, जिसकी पालना में श्री बनेसिंह कविया द्वारा दिनांक 26.09.2019 को कार्यग्रहण किया गया। उक्त कार्यालय में पूर्व से पदस्थापित कार्मिक श्री राधेश्याम कुमावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। ने अपने स्थानान्तरण आदेश संख्या 468 दिनांक 12.09.2019 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर में एस.बी.सिविल.रिट पिटीशन संख्या 17954/2019 दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था, फलस्वरूप एक ही पद के विरूद्ध दो कार्मिकों के पदस्थापित होने एवं श्री बनेसिंह कविया के बकाया वेतन का आहरण नहीं होने की समस्या उत्पन्न होने के कारण विभागीय आदेश संख्या 592/2019–20 दिनांक 17.12.2019 के द्वारा श्री बनेसिंह कविया का पदस्थापन कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सीकर किया गया था।

अतः श्री बनेसिंह कविया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। का दिनांक 16.09.2019 से 30.09.2019 एवं दिनांक 01.11.2019 से 30.11.2019 तक का वेतन कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।। के रिक्त पद विरूद्ध आहरित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (क) (बी–462) अलेसे– I/956 दिनांकः– 10/06/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सीकर।
2 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 श्री बनेसिंह कविया, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड–।, कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सीकर।
4 उपनिदेशक(एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6 निजी पत्रावली।

(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)